न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल

अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 3266–पीबीआर/15 विरूद्ध आदेश दिनांक 15–9–15 एवं 22–9–15 पारित द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, डबरा प्रकरण कमांक 46/14–15/अपील.

1– रणजीत सिंह पुत्र स्व. श्री अजमेर सिंह गुर्जर
2– दीपक सिंह पुत्र स्व. श्री अजमेर सिंह गुर्जर
निवासीगण ग्राम भैंसनारी
तहसील डबरा जिला ग्वालियर .....आवेदकगण

विरूद्ध

1– श्रीमती राजेश पत्नी चरण सिंह
निवासी ग्राम भगावली
तहसील सेवढ़ा जिला दतिया
2– श्रीमती अंजू पत्नी रामवीर सिंह
निवासी ग्राम घुरैयाबसई
तहसील व जिला मुरैना .....अनावेदिकागण

श्री अशोक भार्गव, अभिभाषक, आवेदकगण

श्री एस.पी. सिंह, अभिषक, अनावेदिकागण

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 25/5/16 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी, डबरा द्वारा पारित आदेश दिनांक 15–9–15 एवं 22–9–15 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदिकागण द्वारा नायब तहसीलदार, डबरा के आदेश दिनांक 8–9–2014 के विरूद्ध प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी, डबरा के समक्ष प्रस्तुत की गई । अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष आवेदकगण द्वारा संहिता की धारा 48 पर आपत्ति प्रस्तुत की गई, जिसे अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 15–9–2015 को आदेश पारित कर निरस्त किया गया । तत्पश्चात आवेदकगण द्वारा पुनः संहिता की धारा 32 के अंतर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर आपत्तियां प्रस्तुत की गई, जिसे भी अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 22–9–2015 को अंतरिम आदेश पारित कर निरस्त किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मौखिक एवं लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) अनावेदिकागण द्वारा संहिता की धारा 48 के आवेदन पत्र के पद कमांक 2 में आवेदकगण के हित में हुए नामांतरण की जानकारी दिनांक 14–4–2015 को होने का उल्लेख किया गया है, साथ ही यह भी उल्लेख किया गया है कि उनके द्वारा अभिभाषक से मिलकर नकल शाखा से प्रमाणित प्रतिलिपि चाहने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था, किन्तु उन्हें नकल प्राप्त नहीं हुई है, परन्तु आवेदन पत्र में यह उल्लेख नहीं किया गया है कि अनावेदिकागण नकल शाखा में प्रतिलिपि लेने हेतु कब–कब गये, और न ही नकल शाखा में नकल प्राप्त करने हेतु शुल्क जमा करने की रसीद प्रस्तुत की गई है । अतः स्पष्ट है कि अनावेदिकागण द्वारा संहिता की धारा 48 के आवेदन पत्र में असत्य तथ्य प्रस्तुत किये गये हैं, इस पर बिना विचार किये अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आवेदकगण की आपत्ति निरस्त करने में अवैधानिकता की गई है ।

(2) संहिता की धारा 48 के प्रावधान आज्ञापक है, जिसके अनुसार अपील/निगरानी/पुनर्विलोकन प्रस्तुत करने के लिए अपीलाधीन आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत की जाना कानूनन आज्ञापक है ।

(3) अनुविभागीय अधिकारी द्वारा संहिता की धारा 48 का आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया गया है लेकिन अपरोक्ष रूप से विवादित आदेश की नकल से मुक्ति प्रदान की गई है।

(4) अनुविभागीय अधिकारी द्वारा बोलता हुआ आदेश पारित नहीं किया गया है, क्योंकि आपत्ति निरस्त करने के कारण का कोई उल्लेख आदेश में नहीं है ।

(5) अनावेदिकागण द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने की अनुमति बावत् आवेदन पत्र इस आधार पर प्रस्तुत किया गया है कि वे स्व. भूमिस्वामी अजमेर सिंह की पहली पत्नी बेटी बाई की पुत्रियां हैं लेकिन अनुविभागीय अधिकारी के समक्षा ऐसा कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे यह सिद्ध हो कि अनावेदिकागण स्व. अजमेर सिंह की पहली पत्नी बेटी बाई की पुत्रियां हैं ।

(6) अनावेदिकागण द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा ऐसा कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया है कि वे प्रश्नाधीन भूमि में हितबद्ध पक्षकार हैं, इसके बावजूद भी अपील प्रस्तुत करने की अनुमति देने में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा त्रुटि की गई है ।

तर्कों के समर्थन में 1986 आर.एन. 256, ए.आई.आर. 1969 एस.सी. 575, 1978 आर. एन. 97, 1966 आर.एन. 605 एवं 1986 आर.एन. 294 के न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किये गये ।

4/ अनावेदिकागण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदकगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के दो आदेशों के विरूद्ध निगरानी प्रस्तुत की गई है, जबकि दो आदेशों के विरूद्ध एक निगरानी प्रस्तुत नहीं की जा सकती है । यह भी कहा गया कि आवेदकगण द्वारा संहिता की धारा 248 एवं संहिता की 32 में पारित आदेश को चुनौती दी गई है, जबकि उक्त आदेशों के विरूद्ध निगरानी चलने योग्य नहीं है । तर्क में यह भी कहा गया कि अनावेदिकागण को बिना अभिलेख पर लिये और बिना सुनवाई का अवसर दिये एकपक्षीय आदेश पारित करा लिया गया है, जो कि अवैधानिक कार्यवाही है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनावेदिकागण के पक्ष में वसीयतनामा है, अतः उन्हें सुना जाना आवश्यक था । यह भी कहा गया कि अनावेदिकागण द्वारा विधिवत नकल हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था, और चूंकि अपील प्रस्तुत करने में विलम्ब हो रहा था, इसलिए संहिता की धारा 48 का आवेदन पत्र संलग्न कर अपील प्रस्तुत की गई है । इस

आधार पर कहा गया कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा संहिता की धारा 48 का आवेदन पत्र स्वीकार करने में पूर्णतः विधिसंगत कार्यवाही की गई है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदकगण द्वारा प्रकरण के अंतिम तर्क के स्तर पर संहिता की धारा 32 का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था, जो कि अत्यधिक विलम्बित होने निरस्त होने योग्य है ।

प्रत्युत्तर में आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि संहिता में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि दो आदेशों के विरूद्ध एक निगरानी प्रस्तुत नहीं की जा सके ।

5/ अनावेदक कमांक 2 एवं 3 सूचना उपरांत अनुपस्थित ।

6/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में उठाये गये आधारों के सदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि अनावेदिकागण द्वारा जिस समय अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत की गई है उस समय उन्हें विवादित आदेश की सत्यप्रतिलिपि प्राप्त नहीं हो सकी थी । संहिता की धारा 48 में सत्यप्रतिलिपि प्रस्तुत करने से छूट प्रदान करने की अधिकारिता संबंधित पीठासीन अधिकारी को प्रदान की गई है और संहिता की धारा 48 इसलिये ही प्रावधानित की गई है कि किन्हीं परिस्थितियों में विवादित आदेश की सत्यप्रतिलिपि अपील/निगरानी/पुनर्विलोकन प्रस्तुत करते समय प्राप्त नहीं हो सके, तब उसे प्रस्तुत करने से मुक्ति प्रदान की जाये । इसके अतिरिक्त चूँकि बाद में अनावेदिकागण द्वारा तहसील न्यायालय के आदेश की सत्यप्रतिलिपि प्रस्तुत कर दी गई है, अतः संहिता की धारा 48 के आवेदन पत्र के संबंध में निष्कर्ष निकाले जाने का कोई औचित्य नहीं है । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आवेदकगण की ओर से संहिता की धारा 32 के अन्तर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र को भी निरस्त करने में किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं की गई है, क्योंकि आवेदन पत्र में जिन तथ्यों का उल्लेख है उनका निराकरण साक्ष्य से ही किया जा सकता है । वैसे भी सामान्यतः प्रकरण का निराकरण तकनीकी आधारों पर नहीं किया जाकर गुणदोष पर किया जाना चाहिये, जिससे कि पक्षकारों को वास्तविक न्याय प्राप्त हो सके । दर्शित परिस्थितियों में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश वैधानिक एवं उचित होने से स्थिर रखे जाने योग्य है ।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी, डबरा द्वारा पारित आदेश दिनांक 15–9–15 एवं 22–9–15 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर